रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 784] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 1992/अग्रहायण 19, 1914
No. 784] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 1992/AGRAHAYANA 19, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1992

का. आ. 905(अ)—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के गृह विभाग के भारसाधक सचिवों को उनके अपने-अपने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किसी न्यायालय द्वारा विचारणीय उक्त अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों की बाबत अभियोजन का मंजूरी देने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[फा.सं. II/14034/2(VI)/92-आई.एस. (डी.वी.)]

टी एन. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1992

S.O. 905(E):—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby authorises the Secretaries of the State Governments and Union Territory's Administrations in charge of the Home Department, to exercise the powers to sanction prosecution in respect of offences punishable under the said Act triable by a court in their respective States and Union Territories.

[F.No II/14034/2(VI)/92—IS(DV)]

T.N. SRIVASTAVA, Joint Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1992

का.आ. 906 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि ऐसी सभी शक्तियों का, जो पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य है, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा तथा उक्त सरकारें और प्रशासन लिखित आदेश द्वारा, निर्दिष्ट कर सकेंगे कि ऐसी सभी शक्तियां, जो उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने के लिए निर्दिष्ट की गई है, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसी कि निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाएं, पुलिस आयुक्तों, और जिला कलक्टरों/उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा जिले में प्रयुक्त की जाएंगी ।

[फा सं. II/14034/2(VII) 92-आई.एस. (डी.बी.)]

टी.एन. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1992

S.O. 906(E):—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby directs that all the powers which are exercisable by it under sections 7 and 8 of the aforesaid Act shall be exercised by the State Governments and the Union Territory Administrations and the said Governments and Administrations may by order in writing direct that all such powers as have been directed to be exercisable by them shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercised by the Commissioners of Police and the District Collectors/the Deputy Commissioners/the District Magistrates in the districts.

[F.No. II/14034/2(VII)/92-IS(DV)]

T.N. SRIVASTAVA, Joint Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992